न्यायालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोपालगंज।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–2910 / 2025

परिवाद वाद संख्या–263 / 2025 से उत्पन्न

आवेदकगण का नाम	:–1) मैमुल नेशा पति कियामत मियां, 2) कियामत मियां पुत्र स्व0 जलील मियां, साकिनान–ग्राम–जमसड़ बाजार, थाना–उचकागांव जिला–गोपालगंज।
प्राथमिकी अन्तर्गत धारा	:–85 बी.एन.एस. एवं 4 डी.पी. एक्ट।
आवेदकगण की ओर से	:–श्री शारीक इमाम, विद्वान अधिवक्ता।
बिहार सरकार की ओर से	:–श्री देव वंश गिरी।

11.03.2026	आदेश	मंतव्य
	यह अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक / अभियुक्तगण 1) मैमुल नेशा एवं 2) कियामत मियां की ओर से परिवाद वाद संख्या–263/2025, अन्तर्गत धारा–85 बी.एन.एस. एवं 4 डी.पी. एक्ट के संदर्भ में दाखिल किया गया। अग्रिम जमानत आवेदन पर सुना गया। अभिलेख उपलब्ध है। अभियोजन के मामले का संक्षिप्त तथ्य यह है कि परिवादिनी शाहजहां खातुन के परिवाद–पत्र के आधार पर आवेदक / अभियुक्तगण एवं अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध परिवाद वाद संख्या–263/2025, अन्तर्गत धारा–85 बी.एन.एस. एवं 4 डी.पी. एक्ट के अन्तर्गत दाखिल किया गया। परिवादिनी ने अपने परिवाद–पत्र में कथन किया है कि उसकी शादी दिनांक 16.06.2019 को नईम आलम के साथ हुआ था और इस विवाह से उसकी एक दो वर्षीय पुत्री है। विवाह के बाद, आरोपी व्यक्तियों ने दहेज के रूप में एक लाख रुपए की मांग करने लगे और इस मांग के पूरी न होने पर उन्होंने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इसके अलावा, यह भी आरोप लगाया है कि दहेज की मांग पूरी न होने के कारण, उन्होंने दिनांक 01.12.2024 को मारपीट कर ससुराल से बाहर निकाल दिये और उसका सारा स्त्रीधन अपने पास रख लिए। परिवादिनी के पिता ने कई बार पंचायती बुलाई, लेकिन उसका कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला। तद्नुसार परिवादिनी ने न्यायालय में आरोपियों के विरुद्ध यह परिवाद–पत्र दाखिल किया गया है। आवेदक / अभियुक्तगण की ओर से इस आशय का अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है कि आवेदक / अभियुक्तगण निर्दोष है और उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है। उनकी ओर से माननीय न्यायालय में या किसी भी दूसरे न्यायालय में नियमित एवं अग्रिम जमानत आवेदन न तो दाखिल किया गया और न ही पेंडिंग है। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। दहेज की मांग का आरोप पूरी तरह से गलत है और यह आरोप आवेदकगण को परेशान करने के उद्देश्य से लगाया गया है। आवेदकगण परिवादनी के सास और ससुर है, वे वृद्ध व्यक्ति है। आवेदक / अभियुक्तगण न्यायालय के सभी शर्तों को पालन करने के लिए तैयार है, ऐसी स्थिति में आवेदक / अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश देने की कृपा की जाए।	

लगातार **11.03.2026**	विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा आवेदक/अभियुक्तगण के जमानत का विरोध किया गया। न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना तथा अभिलेख एवं केस डायरी का अवलोकन किया। उभयपक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदकगण परिवादिनी की सास व ससुर है और अपने परिवाद–पत्र में परिवादिनी ने अभियुक्तगण के विरुद्ध दहेज की मांग करने एवं दहेज के लिए प्रताड़ित करने तथा मारपीट कर घर से निकाल देने का अभियोग लगाया है, किन्तु परिवाद–पत्र के पैरा–01 के अनुसार परिवादिनी की शादी अभियुक्त नईम आलम से हुई और एक साल तक सब कुछ ठीक रहा। पैरा–05 में परिवादिनी को पुत्री होने के पश्चात् अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रताड़ित करने का अभियोग लगाया है, जिसका कोई विनिर्दिष्ट समय परिवाद में नहीं दिया गया है। आवेदकगण के विरुद्ध दहेज की मांग का या प्रताड़ित करने का कोई प्रत्यक्ष व विशिष्ट अभियोग नहीं है। इस स्तर पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर आवेदक/अभियुक्तगण की संलिप्तता अभिकथित अभियोग में संदिग्ध प्रतीत होती है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्तगण 1) मैमुल नेशा एवं 2) कियामत मियां को अग्रिम जमानत का लाभ देना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा इन परिस्थितियों में धारा–482 बी.एन.एस.एस. के प्रावधानों के शर्तों के अधीन रहते हुए आवेदक/अभियुक्त को इस आदेश प्राप्ति के चार सप्ताह के अंदर गिरफ्तार किये जाने या आत्मसमर्पण करने पर निम्न न्यायालय की संतुष्टि पर 10,000 X 2 (दस हजार का दो) प्रतिभू तथा इतनी ही धनराशि का बंधपत्र दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता हैः– 1. आवेदक/अभियुक्तगण का एक जमानतदार स्थानीय एवं एक जमानदार नजदीकी होगें। 2. आवेदक/अभियुक्तगण मामले के अनुसंधान में पूर्ण सहयोग करेंगे। 3. आवेदक/अभियुक्तगण साक्ष्य को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करेंगे। लेखापित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोपालगंज। 11.03.2026	